कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं;-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/129/0017/10-11/10 601 भोपाल, दिनांक 11/02/2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सा0) वनमण्डल खरगोन/सेंधवा,
म०प्र०।

विषय:- जिला बडवानी एवं जिला खरगोन अंतर्गत सोनखेडी तालाब योजना के निर्माण हेतु 49.320 हेक्टेयर (वनमंडल सेंधवा की 34.450 हे0 एवं वनमंडल खरगोन की 14.870 हे) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/155614/2022)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, वृत्त खण्डवा का पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/742, दिनांक 03.02.2025

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से विषयांकित परियोजना में भारत सरकार द्वारा ली गयी आपत्तियां का उत्तर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के साथ जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना संलग्न प्राप्त हुई है, जिसे आपके द्वारा बिना परीक्षण उपरान्त इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है।

अत: लेख है, कि प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा तैयार की गयी जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का परीक्षण करे कि :-

1. उक्त योजना प्रस्तावित वनक्षेत्र की भौगोलिक संरचना को देखते हुए तैयार की गयी है या नहीं,
2. जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास की मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भू-संरक्षण कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्यो को समाहित किया गया है अथवा नहीं।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वर्तमान में प्रचलित दरों पर तैयार किया गया है अथवा नहीं।

अत: उपरोक्तानुसार लेख है कि परियोजना अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु तैयार की गयी योजना के प्राक्कलन में यदि कोई कार्य जोडना अथवा हटाये जाने की आवश्यकता हो तो सुधार किया जावें साथ ही योजना अंतर्गत किए जाने वाले उपचार कार्यो को वर्षवार प्रावधानित किया जावे।

11.02.25

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/129/0017/10-11/10 602 भोपाल, दिनांक 11/02/2025

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बडवानी, जिला बडवानी, म०प्र०।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11.02.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\e-office\Section F-3 (Part-iv).docx